

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

दीवसीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 108/2025

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

जयपाल पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

1. इन्द्रसैन पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. लालचन्द दत्तक पुत्र श्री रामकिशन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. विनोद कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री कुण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मेहरचन्द पुत्र स्व. श्री रामकरण जाति जाट निवासी बिजारजीया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. गुरतेज सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तरसेम सिंह पुत्र स्व. श्री बलदेव सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 7.5.2024

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रति.सं. 1 ता 3 जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार. भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

(क) लालचन्द पुत्र श्री रामकिशन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 10 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं.

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/171	31	7,14,17,24/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 16/1/0.228 है., 25/1/0.228 है., 15/2/0.25 16/2/0.025 है., 25/2/0.025 है.,
157/172	42	2/1/0.202 है., 3/1/0.202 है., 4/1/0.202 है., 2/2/0.26 है., 3/2/0.026 है., 4/2.026 है., 2/3/0.025 है., 3/3/0.025 है., 4/30.25 है., 5/1/0.057 है.
158/172	41	3/1/0.114 है., 3/2/0.012 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 15/1/0.228 है., 5/2/0.025 है. कुल 4.743 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



(ख) विनोद कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 10 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं.

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/172	42	5/1/0.145 है. (पूर्वी पाशा), 5/2/0.023 है., बाला, 5/3/0.022 है. रास्ता
158/172	41	6ता15/2.530 है.प्र. कुल रकबा 2.750 है. कृषि भूमि

महा
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ग) जयपाल पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 10 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं.

प.नं. मु.नं. कि.नं.

158/171 32 11,12,19,20,21,22/1.518 है, 13,18,23/0.032 है.

(पश्चिमी पासा प्रत्येक)

158/172 41 1/1/0.228 है, 1/2/0.025 है. रास्ता, 2/1/0.228 है,

2/2/0.025 है. रास्ता, 3/1/0.114 है, 3/2/0.013 है.

रास्ता(पश्चिमी पासा)

कुल रकबा 2.247 है. कृषि भूमि

(घ) इन्द्र सैन पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 10 एन.टी.डब्ल्यू खाता सं.

प.नं. मु.नं. कि.नं.

158/171 32 14 ता 17/1.012 है, 13,18,23/0.221 है.(पूर्वी पास प्र.),

24,25/0.506 है.

कुल रकबा 2.181 है. कृषि भूमि

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1631 दिनांक 10.04.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋग्णि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज. मुब्लिक. बाबत. खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक. को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7.5.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)
उपस्थित अधिकारी,
संगरिया